

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-33/2017/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

उपाध्यक्ष,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,

नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ पर "नर्मदा यात्री निवास" के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति ।

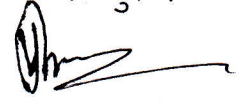
संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 144/59.04/27/न.नि.मं./17 दिनांक 13/12/2017.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 59 वीं बैठक दिनांक 12.12.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ के 16 जिलों में आने वाले लगभग 1100 किलोमीटर लंबे नर्मदा पथ पर 92 "नर्मदा यात्री निवास" (रैन बसेरा) के निर्माण हेतु संलग्न परिशिष्ट-"1" में उल्लेखित मदों के लिये यूएसआर 2017 पर राशि ₹ 41.40 करोड़ (₹ इकतालीस करोड़ चालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 31-33/2017/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/गवालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।

निरंतर..2.